कार्यालय – जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

क्रमांक :–स्था / 2023 / 01 दिनांक :– 16/9/2023

नीलामी सूचना

अजमेर मुख्यालय स्थित सभी न्यायालयों से प्राप्त अनुपयोगी घोषित फर्नीचर एवं सामान जिसकी बुक वैल्यू लगभग 169245 / – रूपये है, की नीलामी दिनांक 26/9/23 को ~~प्रातः~~ / सायं 4.30 बजे से 5.00 के मध्य खुली बोली द्वारा जिला न्यायालय परिसर अजमेर पर की जानी प्रस्तावित है। इच्छुक खरीददार नीलामी योग्य अनुपयोगी फर्नीचर एवं सामान का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
(नकारा फर्नीचर नीलामी कमेटी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या –1, अजमेर

क्रमांक :– 26134-26140 दिनांक :– 16/9/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
2. केशियर, जिला न्यायालय, अजमेर
3. प्रोग्रामर ग्रेड–प्रथम, जिला न्यायालय, अजमेर (जिला न्यायालय पोर्टल पर अपलोड हेतु)।
4. नोटिस बोर्ड, जनसम्पर्क एवं सूचना अधिकारी / नगर निगम / संभागीय आयुक्त / कार्यालय हाजा, जिला न्यायालय, अजमेर।

सदस्य सचिव
(नकारा फर्नीचर नीलामी कमेटी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या –1, अजमेर

कार्यालय – जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

क्रमांक :–स्था0 / 2023 / 01 दिनांक :– 16/9/2023

नीलामी सूचना

अजमेर मुख्यालय स्थित सभी न्यायालयों से प्राप्त अनुपयोगी घोषित फर्नीचर एवं सामान जिसकी बुक वैल्यू लगभग 169245 /– रूपये है, की नीलामी दिनांक 26.9.23 को ~~प्रातः~~ / सायं 4.30 बजे से 5.00 के मध्य खुली बोली द्वारा जिला न्यायालय परिसर अजमेर पर की जानी प्रस्तावित है। इच्छुक खरीददार नीलामी योग्य अनुपयोगी फर्नीचर एवं सामान का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कर सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार होगीं

1. अनुपयोगी फर्नीचर की नीलामी उपस्थित बोली दाताओं द्वारा बोली लगाने के अनुसार की जायेगी।
2. इच्छुक बोली दाताओं को 2 प्रतिशत बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) नीलामी से पूर्व जमा करानी होगी, बिना बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जमा कराये बोली नहीं लगायी जा सकती।
3. असफल बोली दाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) नीलामी समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जायेगी।
4. अधिकतम नीलामी की राशि की बोली लगाने वाले के नाम नीलामी को समाप्त करना या नहीं करना कमेटी सदस्यों के निर्णयाधीन रहेगा।
5. अधिकतम बोली लगाने वाले बोली दाता को अनुपयोगी फर्नीचर एवं सामान तत्काल अपने स्वयं के खर्चे पर उठाना होगा तथा फर्नीचर उठाने तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सफल बोली दाता की ही होगी।
6. अनुपयोगी फर्नीचर एवं सामान उठाने से पूर्व उसकी बोली की राशि को इस कार्यालय में जमा कराना होगा तथा राशि जमा की रसीद प्रस्तुत करने के उपरान्त ही फर्नीचर उठाने की अनुमति दी जायेगी।
7. बोली की राशि व उस पर नियमानुसार समस्त देय कर (जी.एस.टी) सफल बोलीदाता को स्वयं वहन करने होंगे तथा तत्काल जमा नहीं कराने पर उसके द्वारा जमा बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त की जाकर अनुपयोगी फर्नीचर की नीलामी की पुनः कार्यवाही की जायेगी तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. बयाना राशि 2 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) जमा कराने पर यह माना जायेगा कि बोली दाता ने उपरोक्त समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया है।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।

सदस्य सचिव
(नकारा फर्नीचर नीलामी कमेटी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या –1, अजमेर